requested the Central Government to include their castes in the list of Scheduled Castes in Gujarat State;

(b) if so, the names and the number of such caste organisations which have requested in this regard;

(c) the action taken by Government thereon, so far; and

(d) what is the policy and procedure adopted in each case?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESARI): (a) Yes Sir.

(b) The details are in the enclosed statement (See below)

(c) All such proposals, requests, etc are under consideration of the Advisory Committee on Revision of Lists of Scheduled Castes and Scheduled Tribes constituted in the Ministry for their recommendations etc.

(d) The SCs are specified under the provisions of Article 341 of the Constitution which envisages consultation with the concerned State Govt. regarding fulfilment of the prescribed criteria by the concerned community. Further any amendment in the existing list of SCs can be made only through an Act of Parliament.

Statement

S. No.	Name of the Organisation	Name of the community recommended
1.	Akhil Bhartiya Rajbhar Mahasabha, Ahmedabad, Gujarat	Bhar/Rajbhar
2.	Vaishnav Ramanandi Samaj Mandal, Gujarat	Sadhu, Ramanandi, Ramanandi Sadhu, Ramanandi Bawa, Bawa communities
3.	Vanza Samaj Deputation	Vanza Vankar
4.	Gujarat State Tailik Sahu Mahasabha, Ahmedabad, Gujarat	Talik Sahu
5.	Gujarat Anusuchit Laghumati Jati Vikas Sangh, Ahmedabad, Gujarat	Vankar Sadhu, Nat, Charan, Vahivancha

मन्दबद्धि बच्चों के लिये संस्थान

4283 **श्रीमती आनन्दीबेन जेठाभाई पटेल** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में मंदबुद्धि बच्चों के लिये कितने संस्थान हैं, और उनका राज्य वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा इन संस्थानों को प्रतिवर्ष कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ; और

(ग) प्रत्येक संस्थान में कितने-कितने बच्चे हैं और इन संस्थानों में बच्चों को किस प्रकार की सुविधायें प्रदान की जाती हैं ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) देश में बच्चों सहित मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के लिये 626 संस्थान हैं । राज्यवार ब्यौरे विवरण-में दिये गये हैं । **(नीचे देखिये)** ।

(ख) कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 1994-95 में विकलांग व्यक्तियों के लिये संगठनों को सहायता की योजना के अन्तर्गत 133 संगठनों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता की कुल राशि 5.45 करोड़ रुपये है ।

(ग) ब्यौरे अनुबंध-2 में दिये गये है । [**देखिये** परिशिष्ट 173, अनुपत्र सं० 87] ।

विवरण

	राज्य	संगठनों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	49
2.	असम	3
3.	बिहार	11
4.	चंडीगढ़	5
5	दिल्ली	41
6	गोवा	4
7.	गुजरात	42
8.	हरियाणा	9
9.	हिमाचल प्रदेश	4
10.	कर्नाटक	72
11.	केरल	93
12.	मध्य प्रदेश	9
13.	महाराष्ट्र	90
14.	मणिपुर	2
15.	मेघालय	2
16.	मिजोरम	1
17.	उड़ीसा	18
18.	पांडिचेरी	3
19.	पंजाब	8
20.	राजस्थान	15
21.	तमिलनाडु	67
22.	त्रिपुरा	1
23.	उत्तर प्रदेश	32
24.	पश्चिम बंगाल	39
	कुल :	626